


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 810/2020

उनवानी :- प्यारसिंह व अन्य बनाम किशनलाल व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
03.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान ने अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। इसलिए मुकदमा नं. 810/2020 उनवानी प्यारसिंह व अन्य बनाम किशनलाल व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्द्रो किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी ( करौली )</p>